DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023

Why So Many Roads Are Leading To Narela

Prospects Of Boom In Foreseeable Future Driving Infra Plans And Investment In This Far-Off Part Of City, But Residents Skeptical

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority has put on sale 27,000 newly constructed flats—a full range from those meant for economically weaker sections to high-income group dwellings — in northwest Delhi's Narela. But will buyers converge on a place that is considered underdeveloped in terms of civic amenities? As Suresh Kumar, a resident of F Block in the old DDA Flats, said, "There is no denying that the new flats are well ventilated, there are expansive common areas and parking space and the quality of construction is good. But people from other parts of the city and NCR will purchase them only when Narela is wholly developed."

That is precisely why DDA is making an all-out effort to publicise its plans for a cricket stadium, five-star hotel, courts, educational institutions, police complex, even a prison complex in the area. But the local residents feel that many issues such as connectivity, transport, security, etc., also need to be worked upon immediately if people are to be convinced to move to Narela.

The experience, otherwise, hasn't been good for the residents. Karambir, a resident of DDA Flats, F Pocket, said he bought his flat for Rs 12 lakh many years ago and the price of the house has stagnated. "One has to pay a stamp duty of 7% on the current circle rate of Rs 37 lakh. Why would someone buy a flat here then?" asked Karambir. "Property prices haven't risen because people prefer NCR locations with malls, recreation facilities and civic infrastructure."

Karambir added, "Last-mile connectivity is also a major issue. After 10pm, it is difficult to find any mode of transport. Safety is another problem due to dimly lit lanes, inadequate policing and too many uninhabited expanses."

DDA officials claimed they were sprucing up the roads, improving the streetlighting and allocating land for police posts. DDA also expects the Urban Extension Road II, the access-controlled expressway, to become operational in a couple of months, improving connectivity.

There are some positives to Narela. Harman Chaddha, a resident of Rohini, came to check out the new flats at Sector A1-A4 in Pocket 7 with his wife. He said that compared with other places, Narela seemed less congested, had good parks and wide roads. "Travelling is going to be easier from central Delhi once the UER II stretch near Alipur intersection is completed," said Chaddha. "And in a couple of years, connectivity with the airport will also be streamlined. I think five years down the line everything will be in place here."

DDA officials said they were indeed pursuing entities like Delhi Metro, universities, health institutes and police to set up shop in Narela. "From our side we have allocated land in the majority of cases. In some cases, work is already in progress," claimed one official. "We have cleared the layouts for some projects and urged the entities to start construction work.

TIMES Special

The ball is in their court. Given the pace of approvals, we are optimistic that Narela will be a sought-after locality in the next five years."

According to the Master Plan of Delhi 2021, Narela sub-city falls under P-I zone and covers an area of 9,866 hectares, with 7,365 hectares urbanisable and the rest reserved for a green belt. "MPD 1962 recommended the development of Narela as one of the ring towns around the Delhi Metropolitan Area. It proposed a township with government offices and industrial units," pointed out Vedpal Mann, a resident of Alipur village. "The entirety of the sub-city has natural drainage, making it a more viable place for the sub-city than others. But in all these years, except for industrial and housing development, other projects remain unaccomplished."

The process of acquiring land for planned development started in 1989-90. "MPD 2001 specified plans to develop an ISBT, but today one has to go to central Delhi to catch buses," said Suresh Kumar, a resident of DDA Flats, F Pocket. Others said that for two decades, there was talk of establishing university campuses and for five years, the locals were assured of Delhi Metro connectivity and the construction of a court complex. "The reality is that except for the National Institute of Technology (NIT), not a single other institute or complex has been set up here. So, despite interest, people still feel uncertain about investing here," mused property dealer Rajesh Rana of Kadipur village.

Residents do admit their hopes have been raised by recent developments. "Some work has started on the construction of the boundary wall of the police complex and court building," said Ranghu Nandan Chauhan of Sungarpur village. "But we want the pace to be maintained. So many years have been wasted just in planning."

Bhupinder Bazad, president of Delhi Dehat Vikas Manch's master plan committee, was sure that Narela sub-city would have prospered like Gurgaon had private companies been given the responsibility of developing the area. Two policies were notified in 2013, the Low Density Residential Plotting Policy (now called Green Area Development) and Land Pooling Policy. "But the locals found so many glitches and loopholes in these policies that they had to be scrapped," said Bazad. "Though a new land pooling policy was notified, it is awaiting amendments, while the other policy hasn't even been notified."

In the Narela sub-city zonal plan, there are 51 unauthorised colonies. People say the cost of a floor in these unauthorised structures is Rs 7-11 lakh, making it affordable for factory workers or villagers. DDA officials said people had the same perception about Dwarka. "Eventually, so many cooperative societies decided to construct housing complexes and institutes there," said a DDA official. "In the case of Narela too, we presume that once the education campuses come up, their staff and students will buy our flats."

The old DDA flats constructed in 2006 have 60-70% occupancy. Most owners are people employed in factories and nearby areas. Some people also bought the flats as investment. "The maintenance of old flats is a big issue and neither DDA nor other agencies ever made any attempt to repair or paint them. The poor water supply in some blocks is another point of contention," said Pusha Devi, G Block resident. All roads will lead to Narela only when all these problems are addressed.

NARELA THE FUTURE MAY BE HERE

Narela sub-city, **Zone P-I** is located in the northwest part of Delhi

Spread over 9,866 hectares

3,537 hectares Under landpooling	**3,828 hectares** Remaining area
2,501 hectares Green belt	

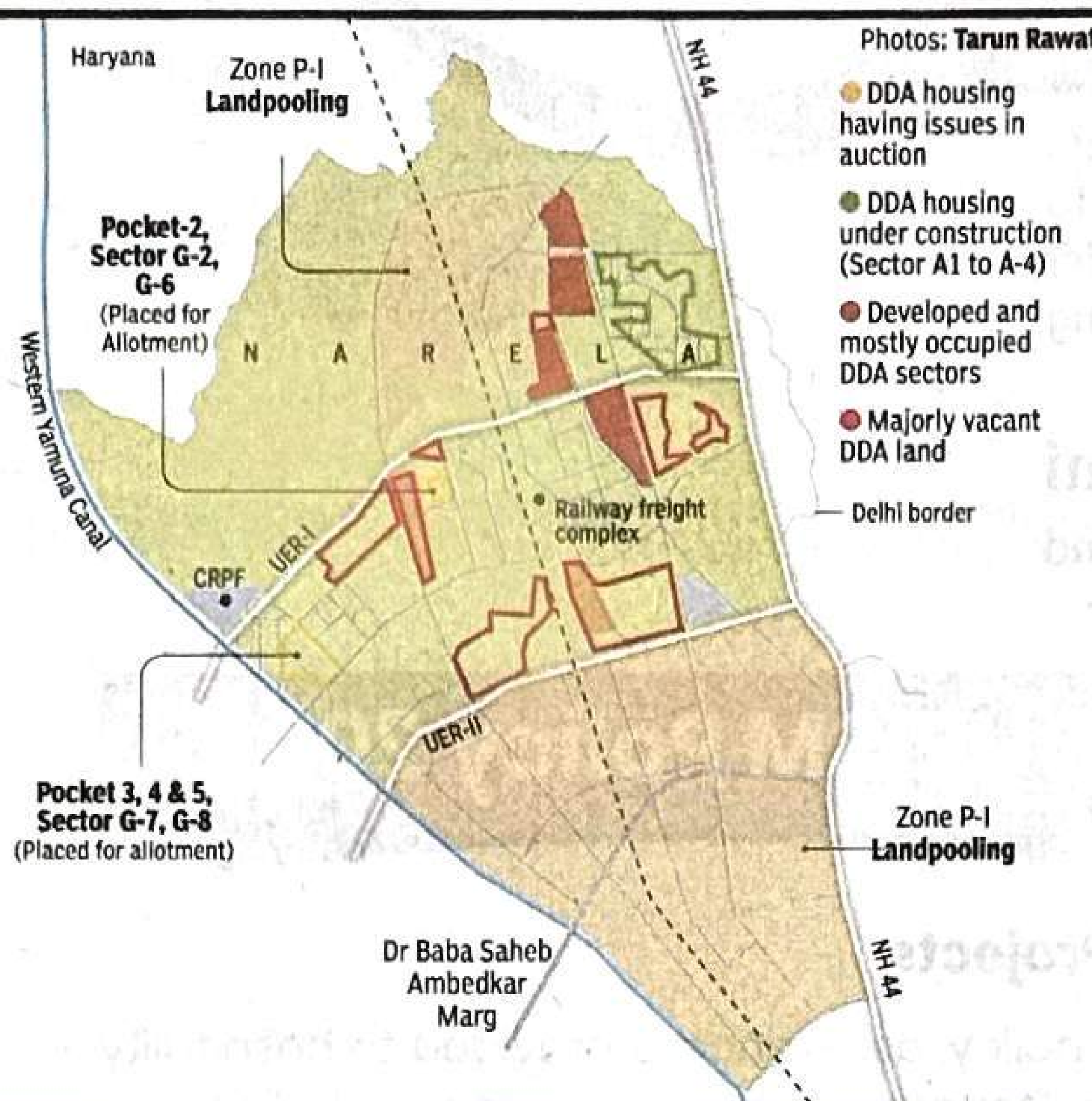

Photos: **Tarun Rawat**

The population of the area is projected to be around 16.2 lakh

P-I zone consists of 18 villages or their parts, according to the zonal plan, 2010

Narela (census town) | Alipur (census town) | Bakaner | Bhorgarh | Budhpur-Bijapur | Holambi Kalan | Holambi Khurd | Iradat Nagar Alias Naya Bans | Khera Kalan | Khera Khurd | Kureni | Mamurpur | Sanoth | Shahpur Garhi | Singhola | Sirsapur | Tikri Khurd | Razapur Kalan

WHY YOU MAY WANT TO BUY PROPERTY HERE

- Property prices lower than most parts of the city
- Improved construction quality of new DDA flats
- HIG, MIG, EWS flats available in Sectors A1-A4
- New flats have proper parking facilities with lifts, lobby area and water supply
- DMRC and DDA have carried out detailed surveys for stations and pillars; project pending with Centre
- Flats allotted to Delhi Police, in addition to land for police posts
- Sites identified for five universities
- AIIMS considering starting a specialisation centre
- University College of Medical Science allocated land
- Land allotted for DTC depot, bus frequency improved
- Roads and other infrastructure facilities being spruced up

WHAT'S THERE AND WHAT'S COMING UP

DDA housing projects

Sector A-1 to A-4

3 housing pockets completed. Remaining under construction

Pocket 2, Sector G-2, G-6

- Accessibility through UER-I along a 60m wide road (only a single carriageway constructed)
- Industrial area in proximity

Pockets 3, 4 & 5, Sector G-7, G-8

- Accessibility through UER-I along two 40m-wide roads
- A lot of vacant land, not many facilities in the surroundings
- Safety and security concerns

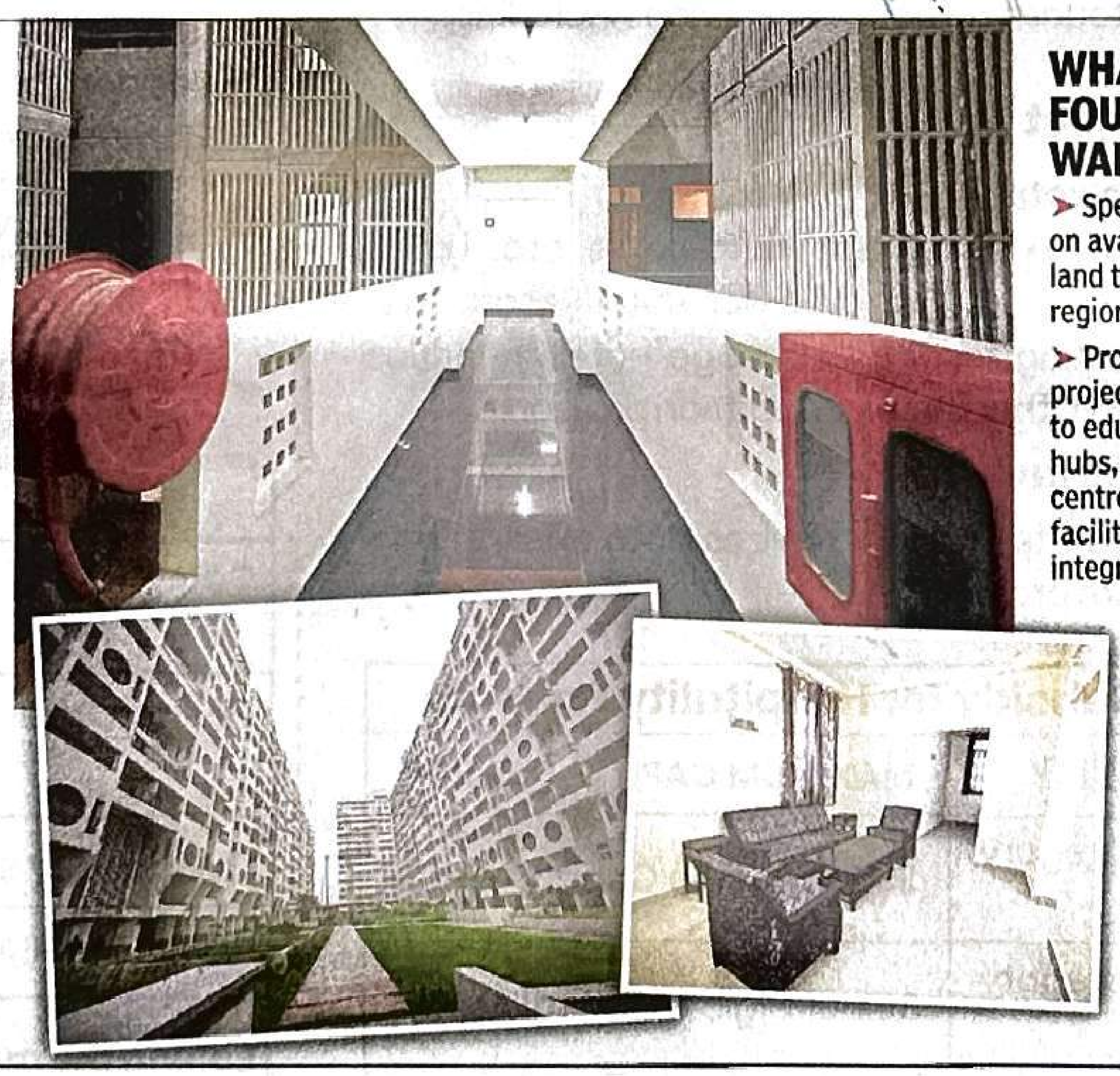

WHAT'S FOUND WANTING

- Speed of work on available DDA land to boost the region's economy
- Progress on projects related to education hubs, commercial centres, health facilities, police complex, ISBT, integrated schools, hospitals, etc
- Implementation of landpooling and green area development policies
- Maintenance and water supply key issues in older DDA flats
- Connectivity an issue as UER-I and GT Karnal Road the only options
- UER-III project yet to take off

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 6 दिसंबर 2023

निर्माण कार्य पर रोक से प्रोजेक्ट हुआ लेट

जेलरवाला बाग में EWS के 1063 फ्लैट्स बना रहा है DDA

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

ग्रैप में निर्माण पर रही रोक के असर से दिल्ली डिवेलपमेंट अथॉरिटी के जेलरवाला बाग में बन रहे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट अपने समय से थोड़ा देरी से पूरा होंगे। इस प्रोजेक्ट को नवंबर के अंत तक पूरा किया जाना था। अब इसके जनवरी 2024 तक पूरा होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार ग्रैप-4 की पाबंदियों की वजह से इस प्रोजेक्ट का काम डिले हुआ। अब यह प्रोजेक्ट अगले साल जनवरी तक पूरा होने की संभावना है। अधिकारी के अनुसार डीडीए दिवाली 2023 पर इन फ्लैट्स का पजेशन देने की तैयारी में थी। लेकिन ग्रैप का चौथा चरण लगने के बाद इसका काम रुक गया। इस समय यहां कुछ फिनिशिंग वर्क पूरे किया जा रहे हैं। काम पूरा होने में करीब एक महीने का समय और लग सकता है। इसके बाद ही फायर एनओसी लेने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।

नवंबर तक पूरा होना था काम, अब जनवरी तक होगा

दिल्ली में यह दूसरा इन सीटू रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है। नवंबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कालकाजी में इसी तरह के 3024 फ्लैट्स लाभार्थियों को सौंपे थे। यह सारे फ्लैट ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए जा रहे हैं और डीडीए की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में शामिल हैं। जेलरवाला बाग में कुल 1675 फ्लैट्स बन रहे हैं।

स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद स्टेटस रिपोर्ट जमा करें: HC

■ पीटीआई, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अस्पतालों और स्कूलों जैसी सार्वजनिक इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए, ताकि इसकी सही जानकारी मिल सके कि इन बिल्डिंगों में भूकंप के झटके सहन कर सकने की क्षमता है या नहीं। ऐक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने गौर किया कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं। लेकिन सरकारें और लोकल अथॉरिटीज इमारतों का सर्वेक्षण तो कर ही सकती है और उसकी स्थिति के हिसाब से एक्शन प्लान पर काम कर सकती है।

दिल्ली सरकार और दूसरी स्थानीय एजेंसियों को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे सभी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के बाद स्टेटस रिपोर्ट जमा कराएं। कोर्ट एडवोकेट अर्पित भार्गव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि दिल्ली की सार्वजनिक इमारतों की सिस्मिक स्टेबिलिटी 'पूअर' कैटिगरी की है। ऐसे में अगर कोई बड़े स्तर का भूकंप आया तो भारी तबाही हो सकती है।

कोर्ट ने कहा, अस्पतालों, स्कूलों की बिल्डिंगों में भूकंप के झटके सहने की क्षमता है या नहीं, जांच जरूरी

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि भूकंप के बड़े झटकों से निपटने की तैयारी में अथॉरिटीज जुटी हुई है, हालांकि शहर की सभी बिल्डिंगों को भूकंपरोधी बनाने की प्रक्रिया कई फेज में ही संभव है। उन्होंने कहा कि शहर में बहुत सी बिल्डिंगें काफी पुरानी है। इसके अलावा, अवैध निर्माण भी बड़ी समस्या है।

दिल्ली नगर निगम के वकील ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन लिया जाता रहा है और इमारतों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेट्रोफिटिंग के विकल्प पर भी काम किया गया है। वहीं, डीडीए के वकील ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल उसकी तीन सौ से ज्यादा बिल्डिंगें सुरक्षा मानकों के हिसाब से सही स्थिति में है। भार्गव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि राजधानी में केवल दस प्रतिशत इमारतें ही भूकंपरोधी हैं, जबकि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 की कैटिगरी में आता है। मामले में दिल्ली सरकार ने पहले कोर्ट को बताया था कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के चिन्हित की गई दस हजार बिल्डिंगों में से छह हजार को स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा जा चुका है और 144 असुरक्षित बिल्डिंगों को ढहाया जा चुका है।

WWW.INDIANEXPRESS.COM
WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023

DDA's premium flat e-auction sees 850 registrations

New Delhi: Less than a week since it was opened for prospective buyers, the DDA's e-auction for its premium high-end flats has garnered 850 registrations.

The planned date for the auctions of premium flats is set for January 5.

A DDA official said, "This is very encouraging, considering these are premium flats. In the coming days, we expect the numbers to grow further."

Meanwhile, the Diwali Special Housing Scheme's first-come-first-serve initiative has attracted over 9,000 registrations since November 24. **ENS**

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, बुधवार, 6 दिसंबर 2023

फ्लैट पंजीकरण 10 हजार तक पहुंचा

नई दिल्ली। पहले आओ, पहले पाओ योजना के तहत डीडीए के 30 हजार से अधिक फ्लैट का पंजीकरण चल रहा है। मंगलवार तक 10 हजार से अधिक पंजीकरण हुए। द्वारका, लोकनायक पुरम और नरेला में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट योजना में शामिल किए गए हैं। इन सभी फ्लैटों के लिए बुकिंग प्रक्रिया 11 दिसंबर से डीडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन शुरू होगी। इसमें आवेदनकर्ता अपनी प्राथमिकता अनुसार फ्लैटों को बुक करा सकते हैं।

आरामदायक फ्लैटों की राशि को लेकर सवाल करें

डीडीए ने दो हजार से अधिक आरामदायक फ्लैटों का पंजीकरण शुरू किया है। लोगों से कहा है कि वह इन फ्लैटों की बयाना राशि के भुगतान को लेकर कॉल सेंटर के नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं। इन फ्लैटों की बिक्री ई-नीलामी के जरिए 5 जनवरी 2024 से शुरू होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 2023 ATED-----------------------

असिता ईस्ट में फिर लौट आई रौनक, प्रकृति के निकट सैर का आनंद लेने पहुंच रहे लोग

निखिल पाठक ● पूर्वी दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से यमुना रिवर फ्रंट के तहत खादर क्षेत्र में विकसित किए गए असिता ईस्ट में फिर से रौनक लौट आई है। लोग भी प्रकृति के निकट पहुंचकर सैर का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। वहीं सेल्फी प्वाइंट, जलाशय के किनारे बैठकर खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। दो-तीन महीनों पहले यमुना का जलस्तर बढ़ने से असिता ईस्ट को तैयार करने में डीडीए की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। लेकिन डीडीए के उद्यान विभाग ने हालात सामान्य होने के बाद फुटपाथ ट्रैक को सुधारकर और हरियाली विकसित कर असिता ईस्ट का दोबारा से सुंदरीकरण कर दिया है।

असिता ईस्ट में जलाशय के पास फोटो लेते लोग व बैठे बच्चे ● पारस कुमार

क्यारी बनाकर लगाए गए फूलों के पौधे ● जागरण

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से यहां पौधे नष्ट हो गए थे। अब दोबारा से डहेलिया, बबूने, नीलकूपी, कैलेंडुला, हालिहाक जैसे नए पौधे लगाकर बागवानी कर दी गई है। अगले वर्ष फरवरी में फूलों की सुगंध से महकने लगेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले वर्ष सात सितंबर इस परियोजना का उद्घाटन किया था। असिता ईस्ट पुराने लोहे के पुल से आइटीओ बैराज तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 197 हेक्टेयर है। 90 हेक्टेयर हिस्सा डीडीए के अंतर्गत है और शेष हिस्सा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है।

असिता ईस्ट की खास बातें

- पांच एकड़ में तैयार किया गया जलाशय
- 60 हजार क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता
- मेरी यमुना जैसा आकर्षक सेल्फी प्वाइंट
- मल्टीपर्पज एरिया
- बच्चों के खेलने के लिए पार्क
- जैव शौचालय

अस्पतालों, विद्यालयों की इमारतों का संरचनात्मक आडिट किया जाए : हाई कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पताल और विद्यालय जैसी सार्वजनिक इमारतों का संरचनात्मक आडिट कराकर भूकंप के झटके सहने के लिहाज से उनकी मजबूती जांचने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय प्राधिकारी अपनी इमारतों की समीक्षा करके कार्ययोजना तैयार करें। सभी अस्पतालों, विद्यालयों और कालेजों की इमारतों की संरचनात्मक आडिट करके स्थिति रिपोर्ट सौंपें। अब इस मामले में अगले वर्ष छह मई को आगे की सुनवाई होगी

अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने जनहित याचिका में दावा किया था कि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-4 (गंभीर तीव्रता वाले क्षेत्र) के अंतर्गत आती है। केवल 10 प्रतिशत इमारतें भूकंप रोधी हैं। ऐसे में भूकंप के झटकों का सामना करने के लिहाज से इमारतों की स्थिति बहुत खराब है और शक्तिशाली भूकंप आने पर बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं। इस पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भूकंप के शक्तिशाली झटकों से निपटने के लिए प्राधिकारियों की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। शहर की सभी इमारतों को भूकंप रोधी बनाने का काम केवल चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शहर की कई इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ को ध्वस्त भी किया गया है। अवैध निर्माण को बड़ी समस्या बताया। पीठ ने यह मानते हुए कि सरकार अनधिकृत निर्माणों के प्रति आंखें मूंद लेती है, जो ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं, निर्देश दिया कि ऐसी इमारतों में रहने वालों को उचित चेतावनी जारी की जानी चाहिए। इन लोगों को चेतावनी दें। नोटिस लगाएं कि संरचना खतरनाक व असुरक्षित है।

- भूकंप के झटके सहने के लिहाज से इमारतों की मजबूती जांचने के हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
- जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम व अन्य को दिए निर्देश

दिल्ली नगर निगम के वकील ने कहा कि निगम अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है। इमारतों को सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के वकील ने कहा कि उनकी 300 से अधिक इमारतें अब सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप हैं।

इससे पहले दिल्ली सरकार पीठ को बता चुकी है कि संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करने को पहचानी गईं 10 हजार से अधिक इमारतों में से 6000 से अधिक को सुरक्षा प्रमाणपत्र दिखाने के लिए कहा गया है। 144 असुरक्षित इमारतों को ध्वस्त किया गया है। 4655 इमारतों का संरचनात्मक आडिट हो चुका है और 89 में रेट्रोफिटिंग कार्य चल रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS- 6 DECEMBER, 2023 | NEW DELHI -DATED-

HC orders earthquake audit of hospitals, schools

PIL claims seismic stability of buildings is poor and a major earthquake can cause casualties

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court Tuesday asked the authorities here to conduct a structural audit of public buildings like hospitals and schools to test their stability against tremors caused by earthquakes in the region.

A bench headed by Acting Chief Justice Manmohan observed that while it was true that one cannot control natural disasters like earthquakes, the city government and other local authorities can start by reviewing their own buildings first and have an action plan prepared.

The Delhi government and other local agencies are directed to do a structural audit of all hospitals, schools and colleges and file status reports, ordered the court.

The court was hearing a PIL by advocate Arpit Bhargava claiming the seismic stability of buildings in Delhi was poor and, in case of a major earthquake, there could be a large number of casualties.

Delhi government counsel Santosh Kumar Tripathi said action is being taken by the authorities to deal with any major tremors. Making all buildings in the city seismic activity proof can only be done in a phased manner.

The government lawyer emphasised that besides the city having several buildings that are old, there is also a problem of unauthorised constructions, some of which have been demolished.

Maintaining that the government also turns "a blind eye" to authorised constructions that may "come down like a pack of cards", the bench, also comprising Justice Mini Pushkarna, said due warnings should be issued to the occupants there.

"Please warn these people. Put notices that the structure is dangerous. It is unsafe", the court said.

The Municipal Corporation of Delhi (MCD) counsel said it was taking action against unauthorised constructions and the option of "retrofitting" in buildings to make them compliant with safety norms was also being considered.

The Delhi Development Authority (DDA) counsel said over 300 of its buildings were now compliant with the safety norms.

Bhargava submitted that damage to life and property in Delhi in case of an earthquake was a disaster waiting to happen as only 10 per cent of the buildings were seismically compliant.

He said there were repeated violations of safety requirements despite court orders.

The Delhi government counsel said the matter was not an adversarial litigation and the petitioner was free to give his suggestions to the authorities who have already issued "suitable directions".

The petitioner had said Delhi fell under seismic zone 4 (severe intensity zone) and measures were required to be undertaken to avoid loss of human lives in the event of an earthquake.

The Delhi government had earlier told the court that out of over 10,000 buildings identified for assessing structural safety more than 6,000 have been asked to show structural safety certificates and 144 unsafe buildings demolished.

It had said a structural audit of 4,655 buildings had been done, while retrofitting was in progress in respect of 89.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
6 दिसम्बर, 2023

एबीवीपी की बैठक में उद्यमिता व रोजगार के मुद्दे पर हुई चर्चा

सभी शैक्षणिक संस्थान ज्ञान का केंद्र बनें, इसके लिए प्रयास करने होंगे: राजशरण शाही

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की केंद्रीय कार्यसमिति की मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में देशभर से कुल 77 प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में विद्यार्थी परिषद द्वारा पिछले महीनों में किये गये विभिन्न क्रियाकलापों का वृत्त अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही ने केंद्रीय कार्यसमिति बैठक में रखा।

एबीवीपी की केंद्रीय कार्यसमिति बैठक प्रारम्भ होने से पहले अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. पद्मनाभ आचार्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ प्रचारक स्व. रंगा हरि जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजशरण शाही ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थान ज्ञान का केंद्र बनें

इसके लिए प्रयास करने होंगे, युवाओं को उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ना होगा। भारतीय मूल्य अत्यंत ही उदात्त हैं व उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, इन मूल्यों पर आगे बढ़ते हुए भारतीय युवा बेहतर कार्य कर रहे हैं। परिषद का कार्य देश के सभी शिक्षण संस्थानों में बढ़ा है और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थी परिषद का कार्य युवाओं को प्रेरित कर रहा है। वहीं एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि केंद्रीय कार्यसमिति बैठक में देशभर के अलग-अलग राज्यों में शिक्षा, युवाओं के विषयों में हुए एबीवीपी के आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा हुई। तेलंगाना और राजस्थान में युवाओं व महिलाओं पर हुए अत्याचार के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया।

69वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर एबीवीपी का झंडा तैयार करते कार्यकर्ता। -फोटो: अमित श्रीवास्तव

भव्य स्तर पर हो रही अधिवेशन की तैयारियां... एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर बुराड़ी के डीडीए मैदान में जोरदार तरीके से तैयारियां हो रही हैं। अधिवेशन को लेकर इतने बड़े स्तर पर हो रही तैयारियों से कार्यक्रम की भव्यता का पता चलता है। आयोजन स्थल में लगाये गये आर्टीफिशियल टेंट एवं इसके आसपास किये जा रहे इंतजामों के मद्देनजर मजदूर दिन-रात तैयारियों में लगे हैं। पूरा डीडीए मैदान झंडों- बैनर से अटा पड़ा है। आने-जाने वाले लोग इस कार्यक्रम की भव्यता को देखकर यहां अनायास रुक रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। आसपास के लोगों में कार्यक्रमों को लेकर खासी उत्सुकता है। उल्लेखनीय हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन 07 दिसम्बर से 10 दिसम्बर के बीच दिल्ली के डीडीए मैदान बुराड़ी में आयोजित हो रहा है, इसमें एबीवीपी के 75 वर्षों की यात्रा का सबसे भव्य तथा विविधतापूर्ण आयोजित होने वाला आयोजन है।

भूकंप के मद्देनजर अस्पताल, स्कूल जैसी इमारतों के ऑडिट का निर्देश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे भूकंप के झटकों के खिलाफ अस्पतालों और स्कूलों जैसी सार्वजनिक इमारतों की मजबूती को लेकर संरचनात्मक ऑडिट करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि यह सच है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार और अन्य स्थानीय अधिकारी पहले अपनी इमारतों की समीक्षा करके शुरुआत कर सकते हैं और एक कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। इस दौरान खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और अन्य स्थानीय एजेंसियों को सभी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों का संरचनात्मक ऑडिट करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता खराब है और बड़े भूकंप की स्थिति में बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि भूकंप की स्थिति में दिल्ली में जान-माल की क्षति एक बड़ी आपदा का इंतजार कर रही थी क्योंकि केवल 10 प्रतिशत इमारतें भूकंप के अनुरूप हैं। साथ ही अदालत के आदेशों के बावजूद सुरक्षा आवश्यकताओं का बार-बार उल्लंघन हो रहा है। वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि किसी भी बड़े झटके से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है व शहर की सभी इमारतों को भूकंपरोधी बनाने का काम चरणबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है। सरकारी वकील ने इस बात पर जोर दिया कि शहर में कई पुरानी इमारतें होने के अलावा अनधिकृत निर्माण की भी समस्या है, जिनमें से कुछ को ध्वस्त कर दिया गया है।

इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि कमजोर इमारतों में रहने वाले लोगों को उचित चेतावनी जारी की जानी चाहिए और नोटिस लगाएं कि संरचना खतरनाक है। सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वकील ने कहा कि अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इमारतों को सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें "रेट्रोफिटिंग' के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील ने कहा कि उसकी 300 से अधिक इमारतें अब सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगले साल 6 मई को होगी।